



Speed-Post

①

कार्यालय अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, कोटा

क्रमांक एफ()/स्था/नरेगा/जेटीए/ले.सहा./2018-19/759-792 दिनांक : 30/7/18
आदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम अन्तर्गत श्रीमान आयुक्त एवं शासन सचिव (ईजीएस) ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (अनुभाग-3, नरेगा) राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 11(8)/ग्रावि/पद सृजन/2016/93342 दिनांक 25.05.17 की पालना में कार्यालय के पत्रांक 1253 दिनांक 28.11.17 द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिला चयन समिति द्वारा बनाई गई प्रोविजनल चयनित सूचियों के लाभार्थियों में से दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होकर मूल दस्तावेज जमा करवाने वाले अभ्यर्थियों का जिला परिषद कोटा क्षेत्र की पंचायत समितियों में कनिष्ठ तकनीकी सहायक/लेखा सहायक के विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित जॉबवर्क के अनुसार कार्य सम्पादित करने हेतु 28 फरवरी, 2019 तक के लिये अनुबन्ध पर पूर्णतया अस्थायी संविदा सेवा शर्तों पर लगाया जाता है :-

कनिष्ठ तकनीकी सहायक

81
31.7.18

सामान्य वर्ग :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता /पति का नाम	चयनित श्रेणी	स्थायी पता	विशेष विवरण
1	गौरव वधवा	श्री अर्जुन वधवा	सामान्य	म.नं. 7 न्यू आकाशवाणी कॉलोनी कोटा	
2	मनीषा मीणा	महावीर प्रसाद	सामान्य महिला	म0नं0 12 रामखेडली पोस्ट ताथेड तह0 लाडपुरा जिला कोटा	राज्य के बाहर के विश्वविद्यालय से शिक्षा के कारण दस्तावेज संबंधित विश्वविद्यालय से सत्यापन होने के पश्चात ही कार्यग्रहण करवाया जावेगा।
3	हिमानी सैनी	श्री दिनेश कुमार सैनी	सामान्य महिला	बाल चन्द्र पाडा, प्रकाश टाकिज के सामने, बून्दी-323001	
4	रविकांत कुमावत	श्री नंद किशोर कुमावत	सामान्य दिव्यांग दृष्टि बाधित	120/205 अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर-302020	
5	निलेश पारेता	श्री ओम प्रकाश पारेता	सामान्य	हेण्डपम्प के पास फतेहगढी, रामपुरा, कोटा-324006	
6	हेमन्त कांदला	महेश चन्द शर्मा	सामान्य	म0नं0 200 कृष्णा विकार कुन्हाडी कोटा	
7	मीनाक्षी गौड	श्री दुर्गालाल गौड	सामान्य महिला	म.नं. 405 केशवपुरा सेक्टर 7 कोटा	

अन्य पिछडा वर्ग :-

1	पुनित बलिछवाल	स्व. श्री गिरिराज बलिछवाल	ओ.बी.सी.	1123 महावीर नगर । कोटा	राज्य के बाहर की निजी विश्वविद्यालय से शिक्षा के कारण दस्तावेज संबंधित विश्वविद्यालय से सत्यापन होने के पश्चात ही कार्यग्रहण करवाया जावेगा।
---	---------------	---------------------------	----------	------------------------	---

4

**अनुसूचित जाति वर्ग :-**

1	राधेश्याम चर्मकार	श्री पूरालाल	एस.सी.	ग्राम पोस्ट रावनगुराडी, तह. गंगधार, जिला झालावाड़-326515
2	नेमचंद सबलानीया	श्री दुलाराम सबलानीया	एस.सी.	वार्ड नं. 8 तारानगर जिला चूरु
3	अशोक कुमार सामरिया	श्री राधेश्याम सामरिया	एस.सी.	ग्रा.पो. अंताली तह. असिंद जिला भीलवाडा

अनुसूचित जनजाति वर्ग :-

1	बीना मीणा	श्री लल्लू लाल मीणा	एस.टी.	ग्राम नारायणपुरा, पोस्ट टटवाड़ा, गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर-322203
2	नरोत्तम मीणा	नन्दकिशोर	एस.टी.	8-सी-12 महावीर नगर तृतीय कोटा

लेखा सहायक**सामान्य वर्ग :-**

क्र. स.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	चयनित श्रेणी	स्थायी पता	विशेष विवरण
1	नितिन आमेरिया	रामचरण आमेरिया	सामान्य	म0नं0 798 केशवपुरा सेक्टर-7 कोटा	
2	पियुष गुप्ता	श्री ओम प्रकाश गुप्ता	सामान्य	918, बसन्त विहार, दादाबाडी, कोटा-324009	
3	स्वाति गर्ग	श्री प्रम चन्द्र गर्ग	सामान्य महिला	चौधरी मोहल्ला, शहर सवाई माधोपुर-322021	

अन्य पिछडा वर्ग :-

1	गजेन्द्र नागर	श्री ज्ञान चंद नागर	औ.बी.सी.	म.नं. 527 केशवपुरा सेक्ट. -7 कोटा
---	---------------	---------------------	----------	-----------------------------------

अनुसूचित जाति वर्ग :-

1	सीमा कुमारी	श्री ओम प्रकाश चन्देल	एस.सी.	अजीतगढ़, श्रीमाधोपुर, सीकर-332701
---	-------------	-----------------------	--------	-----------------------------------

संविदा की मुख्य शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

- उक्त कनिष्ठ तकनीकी सहायको को प्रति माह मूल मानदेय रूपये 8000/- (अक्षरे रूपये आठ हजार) दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण कार्य भत्ता रूपये 3000/- (अक्षरे तीन हजार) व यात्रा भत्ता रूपये 2000/- (अक्षरे रूपये दो हजार) कम से कम 20 दिवस का दौरा स्वयं के वाहन से निर्माण कार्यों के निरीक्षण करने की स्थिति में देय होगा। इस प्रकार कुल मानदेय 13000/- रु. प्रतिमाह देय होगा। चयनित कनिष्ठ तकनीकी सहायक की 1 वर्ष की सेवा अवधि संतोषजनक रहने एवं विकास अधिकारी की अनुशंषा पर मूल मानदेय 8000/- रु. पर 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगी। मानदेय व भत्ते का भुगतान अनुबन्ध उपरान्त कार्य पर उपस्थिति की दिनांक से किया जावेगा।
- उक्त लेखा सहायको का चयन प्रति माह मूल मानदेय रूपये 8000/- (अक्षरे रूपये आठ हजार) पर किया गया है। चयनित लेखा सहायक की 1 वर्ष की सेवा अवधि संतोषजनक रहने एवं विकास अधिकारी की अनुशंषा पर मूल मानदेय 8000/- रु. पर 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगी।
- चयनित अभ्यर्थियों की सेवाएँ संविदा अवधि में कार्य उपलब्धता के अनुसार जिले की किसी भी पंचायत समिति में आवश्यकता अनुरूप लेने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकृत होगा।



4. उक्त चयन संविदा के आधार पर 28 फरवरी, 2019 तक अथवा योजना अवधि जो भी पहले हो तक के लिये किया गया है, जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित जॉबवर्क के अनुसार कार्य सम्पादित नहीं करने अथवा कार्य/व्यवहार सन्तोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार संविदा कर्मी को तुरन्त प्रभाव से हटाया जा सकेगा।
5. विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित जॉबवर्क के अनुसार कार्य पूर्ण रूप से संतोषप्रद तरीके से करना होगा। इसी आधार पर मानदेय का भुगतान किया जावेगा।
6. चयनित आशार्थी को किसी भी जिले से ब्लेक लिस्टेड नहीं होने का शपथ-पत्र रु. 10 के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर लिखित में प्रस्तुत करना होगा।

चयनित आशार्थी अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा के समक्ष सेवा शर्तों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में 500/- रुपये के ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नवीन अनुबन्ध के साथ दिनांक 06.08.2018 तक उपस्थित होवे। निर्धारित अवधि तक उपस्थित होकर अनुबन्ध निष्पादन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का चयन स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

81
31.7.18

जिला कार्यक्रम समन्वयक (इजीएस)
एवं जिला कलक्टर, कोटा

क्रमांक एफ()/स्था./नरेगा/जेटीए/ले.सहा./2018-19/759-792 दिनांक : 30.7.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. श्रीमान आयुक्त महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग अनुभाग -3 राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, कोटा।
3. चयन समिति सदस्य श्री
4. अधिशाषी अभियन्ता (नरेगा) जिला परिषद, कोटा।
5. परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद, कोटा।
6. विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति लाडपुरा/सुल्तानपुर/इटावा/सांगोद/खैराबाद।
7. संबंधित अभ्यर्थीको भेजकर लेख है कि वे अपनी उपस्थिति दिनांक 06.08.2018 तक जिला परिषद कोटा में दें।
8. स्थापना शाखा

9. उपरिदेशन, 08.11 कोटा को कोच जिले के वेनडाइय 11 अपलोड करने हेतु

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, कोटा